रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 नवम्बर, 1992/16 कार्तिक, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 31 अक्तूबर, 1992

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 27/82.—इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जून, 1991 के अधिलंघन में; श्री महेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत धुरकाल, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के विरुद्ध जांच सम्बन्धी मामले में अन्वेक्षक विकास खण्ड देहरा के स्थान पर पंचायत निरीक्षक देहरा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव।

कार्यालय जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 29 अगस्त, 1992

संख्या के0 जी0 आर0-ई0 (12) 21/91-II-2879-82.—यह कि श्री अरविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगणु), विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगडा ने श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री सिरमौरी, गांव आसमपट, मौजा लाहला के झूठे प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का कण्डी से नुक्सान बारे नक्शा क्वाईफ इस कारण बनाय कि उक्त श्री जगदीश चन्द की 32 भेड़-बकरियां आसमानी बिजली गिरने से गांव सेदूनाला, मौजा लाहला में मर गई हैं और उसे मुआवजा मिल जाये ।

2. यह कि उपरोक्त आरोप को दृष्टिगत रखते हुए श्री अरविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगणु), को इस कार्यालय के क्रमांक पंच-के0 जी0 आर0 ई0 (12) 21/91-II-1348-53, दिनांक 15 जुलाई, 1992 को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ।

3. यह कि श्री अरविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगणु) से कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हो गया है, जिसकी समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रधान के विरुद्ध निलम्बन का केस नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने निरीक्षण के लिए उप-प्रधान व पंच को भेजा और उन द्वारा दी गई रिपोर्ट को सत्यापित करते हुए मामला उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पालमपुर को स्वीकृति हेतु भेजा ।

4. यह कि कारण बताओ नोटिस के उत्तर में उपरोक्त प्रधान ने निम्नलिखित आरोप जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला पर लगाये :—

"Show cause notice was deliberately issued by your goodself on the *malafide* and dishonest intention and planning of Shri Shiv Kumar, M.L.A."

इन शब्दों के प्रयोग से जिलाधीश के पद की गरिमा और निष्पक्षता को ठेस पहुंचती है। श्री अरविन्द्र सिंह, प्रधान को उन ठोस आधारों को प्रस्तुत करना होगा जिस पर यह शब्द जिलाधीश की निष्पक्षता को आरोपित करते हुए लिखे गए।

अतः मैं, श्रीनिवास जोशी, जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री अरविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगणु), विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा संगत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देता हूं कि क्यों न उनके विरुद्ध उपरोक्त शब्दों का प्रयोग करने हेतु प्रधान पद से निलम्बित किया जाये। आपका उत्तर इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस बारे कुछ भी नहीं कहना है तथा विभाग एक तरफा कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

श्रीनिवास जोशी,
जिलाधीश,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 29 अक्तूबर, 1992

संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई0 (12) 21/91-II-2888-92.—यह कि वार्ड पंच, श्री धनी राम, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगणु), विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा ने प्रधान, ग्राम पंचायत के कहने पर उप-प्रधान,

श्री जीवन लाल के साथ श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री सिरमौरी, निवासी आसनपट्ट, मौजा लाहला की 27 भेड़ बकरियां आसमानी बिजली गिरने के कारण मरी बताई हैं, का मौका देखा और यह बताया कि मौका पर कुल 27 भेड़ें तथा बकरियां जिसमें 4 बच्चे भी शामिल थे, मरी पाई। दुर्गन्ध फैली हुई थी। कुछ भेड़ों तथा बकरियों को जंगली जानवरों द्वारा उठा कर ले जाया गया था। इसके पश्चात् पंचायत की विशेष बैठक में भी श्री धनी राम ने अपने पूर्व वर्णित ब्यान को दोहराया।

2. यह कि नायब तहसीलदार, पालमपुर ने इस सारे मामले की मौका जांच की और पाया कि सारा मामला झूठा है और यह सारा केस सरकार से पैसा लेने के लिए बनाया गया है।

3. यह कि इस कार्यालय के क्रमांक पंच-के0 जी0 आर0-ई0 (12)-21/91-II-1336-41, दिनांक 15 जुलाई, 1992 को श्री धनी राम, पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका उत्तर इस कार्यालय में प्राप्त हो चुका है। उत्तर की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्री धनी राम ने उपरोक्त श्री जगदीश चन्द को, उप-प्रधान के साथ मिली भगत करके अनुचित लाभ दिलवाना चाहा है जबकि उप-मण्डल अधिकारी (ना0), पालमपुर तथा नायब तहसीलदार, पालमपुर ने इस बात को नाकारा है कि सारा केस झूठा और मिली भगत का किया गया है।

4. यह कि श्री धनी राम, का पंच होने के नाते उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है और एक झूठी रिपोर्ट देने के कारण वह अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने में असफल रहे हैं।

अतः मैं, श्रीनिवास जोशी (भा0 प्र0 से0) जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्री धनी राम, पंच, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगण), विकास खण्ड पंचरुखी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उपरोक्त कृत्यों के लिए पंच पद से निलम्बित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत का कोई चल या अचल सम्पत्ति हो तो वह उसे तत्काल ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी कण्डी (द्रोगण) के पास सौंप दे। निलम्बन के दौरान वह किसी भी पंचायत कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

श्रीनिवास जोशी,
जिलाधीश,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।